

[2023] 10 एस. सी. आर 1196:2023 आई. एन. एस. सी 652

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ए.

यशोधान सिंह और हमारा।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. (2023 की आपराधिक अपील संख्या 2186)

बी.

18 जुलाई, 2023

[बी. वी. नागरत्ना और उज्जल भुवन, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.319-एक व्यक्ति को सुनने का सिद्धांत जिसे यू/एस बुलाया जाता है।319 Cr.P.C.-प्रत्यर्थी सं.2-शिकायतकर्ता ने यू/एस. एस. में एक एफ. आई. आर. दर्ज कराई।147, 148, 149, 302, 452, 307, 504 आई. पी. सी.-अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया गया था, लेकिन इसमें अपीलार्थियों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था क्योंकि उनकी भूमिका की जांच चल रही थी-प्रत्यर्थी नं.2 आवेदन यू/एस दायर किया।319 Cr.P.C अपीलार्थियों को समन करने के लिए- विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को मुकदमे में शामिल होने के लिए समन किया-उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की-सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि या तो समन आदेश को जोगेंद्र यादव मामले के पैराग्राफ 9 के आलोक में अपास्त करना जा सकता है क्योंकि अपीलार्थियों को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था, समन के आदेश के समय या जोगेंद्र यादव मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा जा सकता है यदि तत्काल मामले में इसका पालन नहीं किया जाता है-आयोजित:केवल इसलिए कि कुछ कार्यवाहियों में बुलाए गए व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था, यह कहने के समान नहीं हो सकता है कि यह एक अनिवार्य आवश्यकता या पूर्व शर्त है कि किसी व्यक्ति को यू/एस को बुलाते समय।319 उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए-पैराग्राफ 9 को जोगेंद्र यादव फैसले का अनुपात नहीं माना जा सकता है-जोगेंद्र यादव में फैसले में किसी भी पुनर्विचार का आह्वान नहीं किया गया है और पैराग्राफ 9 में अवलोकन केवल उक्त मामले के तथ्यों से संबंधित है-इस प्रकार, बुलाए गए व्यक्ति को सुनने के सिद्धांत को एस में नहीं पढ़ा जा सकता है।319 Cr.P.C, ऐसी प्रक्रिया पर उसमें बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.319-वस्तु और उद्देश्य-चर्चा की गई।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा,

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** इस न्यायालय की संविधान पीठ ने हरदिप सिंह मामले में यह उल्लेख किया है कि इसके विरुद्ध एक जांच पर विचार किया जा रहा है -

एच.

1196 ए.

1197

यशोधन सिंह और ओ. आर. एस. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

व्यक्ति जिसे धारा **227** के संदर्भ में मुकदमे के शुरू होने से पहले आरोपमुक्त कर दिया गया है, लेकिन जांच पर, यदि यह प्रतीत होता है कि ऐसे आरोपमुक्त व्यक्ति के खिलाफ सबूत है, तो धारा **319** के तहत शक्ति का प्रयोग ऐसे आरोपमुक्त व्यक्ति के खिलाफ किया जा सकता है। इसका स्पष्ट अर्थ यह होगा कि जब कोई व्यक्ति जिसे आरोपमुक्त नहीं किया गया है, लेकिन जिसे धारा **319 Cr.P.C** के अनुसार समन किया जाना है, तो अभिलेख पर साक्ष्य पर न्यायालय द्वारा प्राप्त संतुष्टि के आधार पर, किसी भी जांच या सुनवाई पर विचार नहीं किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और **319 Cr.P.C** के तहत बुलाए गए व्यक्ति को सुनने के अवसर पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है। जांच का ऐसा अधिकार केवल उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जो मुकदमे के शुरू होने से पहले ही उसी कार्यवाही से मुक्त हो चुका है। यह अभिनिर्धारित करने से अलग है कि एक व्यक्ति जिसे धारा **319 Cr.P.C** के अनुसार तलब किया गया है, उसे अन्य अभियुक्तों के साथ मुकदमा चलाने के लिए अभियुक्त के रूप में जोड़े जाने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार सुने जाने का अधिकार है। [पैरा **23**] [**1212-डी-जी**]

बी.

सी.

डी.

2. इसके अलावा, जब किसी व्यक्ति को धारा **319 Cr.P.C** के तहत अभियुक्त के रूप में बुलाया जाता है, जो मुकदमे के दौरान सामने आए साक्ष्य पर विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई संतुष्टि पर आधारित है ताकि अन्य अभियुक्तों के साथ अभियुक्त के रूप में बुलाए गए व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सके, तो तलब किया गया अभियुक्त आरोपमुक्त करने की मांग नहीं कर सकता है। यह बताना आवश्यक है कि धारा **227** के तहत जैसा कि विचार किया गया निर्वहन मुकदमे के शुरू होने से पहले और आरोप तय होने के तुरंत बाद एक स्तर पर है, लेकिन जब धारा **319** के तहत किसी व्यक्ति को अन्य अभियुक्तों के साथ मुकदमे में आरोपी के रूप में शामिल करने के लिए बुलाने की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति निर्वहन की मांग नहीं कर सकता है क्योंकि न्यायालय ने धारा **319** के तहत शक्ति का प्रयोग किया होगा।
[पैरा **24**] [1212-जी-एच; 1213-ए-बी]

ई.

एफ.

जी.

3. केवल इसलिए कि कुछ कार्यवाहियों में बुलाए गए व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था, यह कहने के समान नहीं हो सकता है कि यह अनिवार्य है।

एच.

1198 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

ए.

आवश्यकता या पूर्व शर्त कि किसी व्यक्ति को **Cr.P.C** की धारा **319** के तहत समन करने के समय, उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। यह कानून का अधिदेश नहीं है क्योंकि धारा **319** स्पष्ट रूप से "आगे बढ़ने के लिए" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है जिसका अर्थ है मुकदमे के साथ आगे बढ़ना और मुकदमे के भीतर एक लघु मुकदमे या मुकदमे का संचालन करके बुलाए गए व्यक्ति (व्यक्तियों) के कहने पर मुकदमे को खतरे में नहीं डालना जिससे मामले के मुख्य मुकदमे को पटरी से उतार दिया जाता है और विशेष रूप से उन अभियुक्तों के खिलाफ जो पहले से ही मुकदमे का सामना कर रहे हैं और जो हिरासत में हो सकते हैं। एक व्यक्ति जिसे धारा **319 Cr.P.C** के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए बुलाया जाता है, वह मुकदमे से बचने के लिए अपने मामले को मजबूत करने के लिए मुकदमे को हाईजैक नहीं कर सकता है। जब किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है तो यह सुनिश्चित करने पर विचार किया जाता है कि वह वही व्यक्ति है जिसे बुलाया गया था और यदि कोई समन किया गया व्यक्ति दी गई तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है। समन किए गए व्यक्ति की उपस्थिति पर, पहले से ही मुकदमे का सामना कर रहे अभियुक्तों की सूची में अभियुक्त के रूप में शामिल किए जाने से पहले जांच या सुनवाई के अवसर की कोई प्रक्रिया की परिकल्पना नहीं की गई है, जब तक कि ऐसे समन किए गए व्यक्ति को पहले ही आरोपमुक्त नहीं कर दिया गया

था, जिस स्थिति में, एक जांच पर विचार किया जाता है जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। इस प्रकार, यह तर्क कि समन किए गए व्यक्ति को मुकदमे का सामना करने के लिए एक आरोपी के रूप में जोड़े जाने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, धारा **319 Cr.P.C** के तहत स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है। इस अदालत द्वारा यह भी कहा गया है कि ऐसा समन किया गया व्यक्ति उच्च न्यायालय के समक्ष समन आदेश पर हमला कर सकता है और उसे गवाहों से जिरह करने का अधिकार भी होगा और साथ ही अपने बचाव पक्ष की गवाही, यदि कोई हो, दे सकता है। [पैरा **32**] [**1219-डी-एच; 1220-ए-बी**]

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

4. धारा **319 Cr.P.C** के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए बुलाए गए व्यक्ति का पार्श्व प्रवेश केवल अन्य अभियुक्तों के साथ मुकदमे का सामना करने के लिए है। यह, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक हितकारी प्रावधान होने के नाते, इसे धारा **319 Cr.P.C** के दायरे में लाकर कम नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत जिनका किसी भी मामले में मुकदमे के दौरान पालन किया जाएगा। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को संकीर्ण सूत्र में लागू नहीं किया जा सकता है और वे प्रत्येक मामले के तथ्यों और कानून के प्रावधान के तहत प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और उद्देश्य पर निर्भर करेंगे। [पैरा **33**] [**1220-बी-सी**] ए

जी.

एच.

1199

यशोधन सिंह और ओ. आर. एस. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

5. जोगेंद्र यादव के फैसले में किसी भी पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है और पैराग्राफ **9** में उक्त अवलोकन केवल उक्त मामले के तथ्यों से संबंधित है। इस प्रकार, समन किए गए व्यक्ति की सुनवाई के सिद्धांत को धारा **319** में नहीं पढ़ा जा सकता है। ऐसी प्रक्रिया पर उसमें बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय अपीलार्थियों की दलीलों को स्वीकार नहीं करता है। [पैरा **34**] [**1220-डी-ई**]

बी.

सुखपाल सिंह खैर बनाम पंजाब राज्य **(2023) 1 एससीसी 289**; बृजेंद्र सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य

(2017) 7 एससीसी 706:[2017] 3 एस. सी. आर. 374; हार्डीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य। (2014) 3 एससीसी 92:[2014] 2 एस. सी. आर. 1-अनुसरण किया गया।

सी.

जोगेंद्र यादव और ओआरएस बनाम बिहार और अन्न राज्य।

(2015) 9 एससीसी 244:[2015] 9 एस. सी. आर. 69; राम जनम

यादव और ओआरएस बनाम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राज्य एसएलपी (सीआरएल)

No.3199/2021-संदर्भित।संदर्भित निर्णय

डी.

[2015] 9 एससीआर 69

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

[2014] 2 एससीआर 1

पीछा किया।

पैरा **17**

[2017] 3 एससीआर 374

पीछा किया।

पैरा **21**

(2023) 1 एस. सी. सी. 289

पीछा किया।

पैरा **21**

ई.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 2186।

2022 के सी. आर. एल. आर. संख्या 4235 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 03.01.2023 से।

एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता, राम किशोर सिंह यादव, कौशल यादव, नंदलाल कुमार मिश्रा, डॉ. अजय कुमार, डॉ. सुशील बलवाड़ा, विवेकानंद राणा, प्रमोद कुमार, श्रीलोक नाथ रथ, सुश्री रीना राव, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

एफ.

रत्नाकर दास, वरिष्ठ अधिवक्ता, शशांक शेखर सिंह, यथर्थ सिंह, सुश्री अमृता पांडा, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

जी.

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गया:

न्याय

छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील 2022 के आपराधिक संशोधन No.4235 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश दिनांक 03.01.2023 से उत्पन्न होती है।

एच.

1200

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ए.

अपीलार्थियों 3 अपीलार्थियों .अपीलार्थियों अपीलार्थियों सअपीलार्थियों ंअपीलार्थियों कअपीलार्थियों ्अपीलार्थियों षअपीलार्थियों ेअपीलार्थियों पअपीलार्थियों अपीलार्थियों मअपीलार्थियों ेअपीलार्थियों ंअपीलार्थियों अपीलार्थियों कअपीलार्थियों हअपीलार्थियों ाअपीलार्थियों अपीलार्थियों गअपीलार्थियों यअपीलार्थियों ाअपीलार्थियों अपीलार्थियों हअपीलार्थियों ैअपीलार्थियों अपीलार्थियों कअपीलार्थियों िअपीलार्थियों अपीलार्थियों शअपीलार्थियों िअपीलार्थियों कअपीलार्थियों ाअपीलार्थियों यअपीलार्थियों तअपीलार्थियों कअपीलार्थियों रअपीलार्थियों ्अपीलार्थियों तअपीलार्थियों ाअपीलार्थियों -अपीलार्थियों पअपीलार्थियों ्अपीलार्थियों रअपीलार्थियों तअपीलार्थियों िअपीलार्थियों वअपीलार्थियों ाअपीलार्थियों दअपीलार्थियों ीअपीलार्थियों अपीलार्थियों सअपीलार्थियों ंअपीलार्थियों खअपीलार्थियों ्अपीलार्थियों यअपीलार्थियों ाअपीलार्थियों अपीलार्थियों 2 अपीलार्थियों अपीलार्थियों कअपीलार्थियों ेअपीलार्थियों अपीलार्थियों अअपीलार्थियों नअपीलार्थियों

[illegible]

सअपीलार्थियों ंअपीलार्थियों खअपीलार्थियों ्रअपीलार्थियों यअपीलार्थियों ाअपीलार्थियों
अपीलार्थियों 2 अपीलार्थियों अपीलार्थियों कअपीलार्थियों ेअपीलार्थियों अपीलार्थियों
घअपीलार्थियों रअपीलार्थियों अपीलार्थियों जअपीलार्थियों ाअपीलार्थियों कअपीलार्थियों
रअपीलार्थियों अपीलार्थियों गअपीलार्थियों ाअपीलार्थियों लअपीलार्थियों ीअपीलार्थियों -
अपीलार्थियों गअपीलार्थियों लअपीलार्थियों ौअपीलार्थियों जअपीलार्थियों अपीलार्थियों
औअपीलार्थियों रअपीलार्थियों अपीलार्थियों गअपीलार्थियों ोअपीलार्थियों लअपीलार्थियों
ीअपीलार्थियों बअपीलार्थियों ाअपीलार्थियों रअपीलार्थियों ीअपीलार्थियों अपीलार्थियों
शअपीलार्थियों ुअपीलार्थियों रअपीलार्थियों ूअपीलार्थियों अपीलार्थियों कअपीलार्थियों
रअपीलार्थियों अपीलार्थियों दअपीलार्थियों ीअपीलार्थियों ,अपीलार्थियों अपीलार्थियों
जअपीलार्थियों िअपीलार्थियों सअपीलार्थियों कअपीलार्थियों ेअपीलार्थियों अपीलार्थियों
पअपीलार्थियों रअपीलार्थियों िअपीलार्थियों णअपीलार्थियों ाअपीलार्थियों मअपीलार्थियों
सअपीलार्थियों ्रअपीलार्थियों वअपीलार्थियों रअपीलार्थियों ूअपीलार्थियों पअपीलार्थियों
अपीलार्थियों शअपीलार्थियों िअपीलार्थियों कअपीलार्थियों ाअपीलार्थियों यअपीलार्थियों
तअपीलार्थियों कअपीलार्थियों रअपीलार्थियों ्रअपीलार्थियों तअपीलार्थियों ाअपीलार्थियों
अपीलार्थियों कअपीलार्थियों ोअपीलार्थियों अपीलार्थियों चअपीलार्थियों ोअपीलार्थियों
टअपीलार्थियों ेअपीलार्थियों ंअपीलार्थियों अपीलार्थियों आअपीलार्थियों ईअपीलार्थियों
ंअपीलार्थियों अपीलार्थियों औअपीलार्थियों रअपीलार्थियों अपीलार्थियों उअपीलार्थियों
सअपीलार्थियों कअपीलार्थियों ेअपीलार्थियों अपीलार्थियों दअपीलार्थियों ोअपीलार्थियों
अपीलार्थियों भअपीलार्थियों ाअपीलार्थियों इअपीलार्थियों यअपीलार्थियों ोअपीलार्थियों
ंअपीलार्थियों अपीलार्थियों कअपीलार्थियों ीअपीलार्थियों अपीलार्थियों मअपीलार्थियों
ौअपीलार्थियों तअपीलार्थियों अपीलार्थियों हअपीलार्थियों ोअपीलार्थियों अपीलार्थियों
गअपीलार्थियों ईअपीलार्थियों ।अपीलार्थियों अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर
किया गया था लेकिन इसमें अपीलार्थियों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था क्योंकि उनकी
भूमिका की अभी भी जांच चल रही थी।

बी.

सी.

4. शिकायतकर्ता ने अपने साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थियों को समन करने के लिए 2018 की धारा 319 Cr.P.C के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 1, हाथरस के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसके अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को मुकदमे में शामिल होने के लिए समन करने के लिए दिनांक 23.09.2022 का आदेश पारित किया। 5. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 1, हाथरस के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थियों ने 2022 के आपराधिक संशोधन No.4235 के माध्यम से इलाहाबाद में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने दिनांक आई. डी. 2 के विवादित आदेश के माध्यम से इसे खारिज कर दिया और अपीलार्थियों को समन करने के लिए अतिरिक्त

सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 1, हाथरस द्वारा 2018 के मामले अपराध आई. डी. 1 दिनांक आई. डी. 3 में पारित आदेश की पुष्टि की।

डी.

ई.

6. इसलिए यह अपील की गई है।

7. हमने अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. नागमुथु और अपीलार्थी संख्या के विद्वान अधिवक्ता डॉ. सुशील बलवाड़ा को सुना है। 1, 3 और 4; श्री रत्नाकर दास, राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री यथार्थ सिंह, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विस्तार से। 8. दिनांक 08.05.2023 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने नोटिस जारी किया और मामले को जुलाई, 2023 के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया। तत्काल संदर्भ के लिए, उक्त आदेश को इस प्रकार निकाला गया है-"हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. नागमुथु को सुना है।

एफ.

जी.

देरी को माफ कर दिया गया।

यह एक ऐसा मामला है जिसमें उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को समन करते हुए Cr.P.C की धारा 319 के तहत पारित आदेश को चुनौती देने वाले संशोधन को खारिज कर दिया है।

एच.

1201

यशोधन सिंह और ओ. आर. एस. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

ए.

श्री नागमुथु ने अपने निवेदन के दौरान जोगेंद्र यादव और अन्य बनाम अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। बिहार राज्य और ए. एन. आर., (2015) 9 एस. सी. सी. 244 में सूचित किया गया। इसमें, उन्होंने बताया कि इस न्यायालय ने पाया है कि चूंकि एक व्यक्ति जिसे धारा 319 Cr.P.C के तहत जोड़ा गया है, उसे अनिवार्य रूप से जोड़ने से पहले सुना जाता है और अक्सर आगे की सुनवाई होती है यदि वह समन आदेश को चुनौती देता है तो वह आरोपमुक्त करने के उपाय का लाभ नहीं उठा सकता है।

बी.

हो सकता है कि यह न्यायालय विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक न रहा हो, लेकिन यदि उचित स्तर पर इस तरह की सलाह दी जाती है तो निर्वहन की मांग करने का उपाय

सुरक्षित रखने के लिए इच्छुक होता।हमें प्रत्यर्थी नं. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यथर्थ सिंह को सुनने का लाभ है।2-चेतावनी पर शिकायत।

सी.

हमारा विचार है कि इस पहलू पर गौर किया जाना चाहिए यदि न्यायालय को ऐसा दृष्टिकोण अपनाना है जो जोगेंद्र यादव और अन्य (ऊपर) के फैसले में लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न है।

डी.

नोटिस जारी करें।

याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी वकील को भी दस्ती दे सकते हैं।

ई.

जुलाई 2023 के दूसरे सप्ताह में मामले को सूचीबद्ध करें।”

उसी को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि यह न्यायालय जोगेंद्र यादव और अन्य बनाम अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. नागमुथु द्वारा दिए गए निवेदन को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी (गण) को नोटिस जारी करने के लिए इच्छुक था।बिहार राज्य और ए. एन. आर., (2015) 9 एस. सी. सी. 244 ('जोगेंद्र यादव') में सूचित।9. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. नागमुथु ने शुरुआत में प्रस्तुत विद्वान कि जोगेंद्र यादव के पैराग्राफ 9 में स्पष्ट रूप से दर्ज विद्वान गया है कि जब किसी आरोपी को न्यायालय प्रक्रिया संहिता, 1973 ('<आईडी1') की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए बुलाया जाता है, तो ऐसे आरोपी को मुकदमे का सामना करने के लिए आरोपी के रूप में जोड़े जाने से पहले सुना जाना चाहिए; कि ऐसे आरोपी को सुनवाई का आगे अधिकार है यदि वह उच्च न्यायालय के समक्ष और इस अदालत के समक्ष समन आदेश को चुनौती देता है।जोगेंद्र यादव में इस न्यायालय की टिप्पणियों के आलोक में, एक अभियुक्त के अधिकार को, जिसे अभियुक्त के रूप में जोड़े जाने से पहले सुनवाई के लिए बुलाया जाता है, इस न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई है; कि तत्काल

एफ.

जी.

एच.

1202

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ए.

मामला क्योंकि ऐसी कोई सुनवाई नहीं थी जो अपीलार्थियों को प्रदान की गई थी, जिन्हें अभियुक्त के रूप में जोड़ा गया था, उपरोक्त निर्णय के आलोक में, विवादित आदेश को अपास्त करना जा सकता है और मामले को अपीलार्थियों को अभियुक्त के रूप में जोड़े जाने से पहले सुनवाई का अवसर देने के लिए सत्र न्यायालय में भेजा जा सकता है।

10. इस संदर्भ में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने राम जनम यादव और अन्य के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य आदेश की ओर हमारा ध्यान आकर्षित विद्वान । वी /एस. एस. एल. पी. में यू. पी. और ए. एन. आर. का राज्य (सी. आर. एल.) No.3199/2021 ('राम जनम यादव'), जिसमें इस न्यायालय ने निर्देश दिया था कि जोगेंद्र यादव में निर्णय से उत्पन्न प्रश्न पर विचार करने और मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने के लिए एक न्यायमित्र नियुक्त किया जाए, निर्णय लेने के लिए: (1) इस बारे में कि क्या कोई अभियुक्त, जिसे आई. डी. 1 की धारा 319 के तहत आरोपित किया गया है, आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर करने का हकदार है और (2) क्या कोई व्यक्ति अभियुक्त के रूप में आरोपित होने से पहले पूर्व सुनवाई का हकदार है या नहीं। बेशक, यह भी बताया गया कि अंततः उक्त मामले को उक्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए संदर्भित नहीं किया गया था क्योंकि इस न्यायालय ने पाया कि उक्त मामले में अभियुक्त को वास्तव में सुनवाई का अवसर दिया गया था और इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उठाए गए मुद्दे विशुद्ध रूप से अकादमिक प्रकृति के होंगे। 11. आपराधिक मुकदमे में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के महत्व पर जोर देते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नागमुथु ने प्रस्तुत विद्वान कि यदि आरोपी को ऐसी सुनवाई प्रदान नहीं की जाती है तो आरोपी के रूप में जोड़े जाने के लिए बुलाए गए व्यक्तियों के अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। इस संबंध में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत विद्वान कि पहले से दर्ज साक्ष्य के आधार पर मुकदमे के साथ आगे बढ़ने के लिए आई. डी. 1 की धारा 319 के तहत शक्ति का आह्वान विद्वान जाता है और ऐसे मामले में सत्र न्यायालय/परीक्षण न्यायालय की संतुष्टि एक वस्तुनिष्ठ संतुष्टि होगी न कि एक व्यक्तिपरक और इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभियुक्त के रूप में जोड़े जाने के लिए बुलाए गए व्यक्तियों के अधिकार को लागू विद्वान जाता है, यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति को पहले से ही मुकदमे का सामना कर रहे अन्य अभियुक्तों के साथ मुकदमा चलाने के लिए एक आरोपी के रूप में शामिल करने से पहले सुना जाए। 12. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि यदि अंततः बुलाए गए व्यक्ति को आरोपमुक्त करने का अधिकार नहीं दिया जाता है, जिसकी वह भी मांग करने का हकदार है, तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आरोपी के रूप में जोड़े जाने वाले व्यक्ति को नोटिस जारी किए जाने पर, उसे पहले सुनवाई में सुना जाता है और उसके बाद, अन्य अभियुक्तों के साथ मुकदमा चलाने के लिए अभियुक्तों की सूची में उसे जोड़ने का आदेश पारित किया जाता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

उनके अनुसार, हालांकि धारा 319 Cr.P.C. अभियुक्त के रूप में जोड़े जाने से पहले सुनवाई के अवसर के बारे में चुप है, लेकिन उसी में ए है।

एच.

1203

यशोधन सिंह और ओ. आर. एस. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

उस प्रावधान में पढ़ा जाना जो प्राकृतिक न्यायाधीशों के सिद्धांत के अनुपालन में होगा। इस संबंध में, उन्होंने समापन रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका दायर करने के संबंध में कानून के विकास का उल्लेख किया है। 13. अन्य अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि तत्काल मामले में, अपीलार्थियों का नाम प्राथमिकी में था, लेकिन अंतिम रिपोर्ट में उनके नामों का उल्लेख नहीं किया गया था। उक्त अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ कोई विरोध याचिका दायर नहीं की गई थी। यह केवल मुकदमे के चरण में है कि समन आदेश सत्र न्यायालय द्वारा पारित किया गया था, जो इसमें अपीलार्थियों को अभियुक्तों की सूची में जोड़ने के लिए समन करने के लिए Cr.P.C की धारा 319 का आह्वान नहीं कर सकता था, जब उनके नाम अंतिम रिपोर्ट में नहीं थे।

बी.

सी.

14. इसलिए, अपीलार्थियों की ओर से यह संतोषजनक था कि या तो जोगेंद्र यादव के फैसले का अनुपालन अपीलार्थियों को सुनवाई का अवसर देकर किया जाए या यदि यह पीठ उक्त फैसले का पालन करने के लिए इच्छुक नहीं है तो मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा जा सकता है।

डी.

15. इसके विपरीत, राज्य की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील और शिकायतकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जोगेंद्र यादव में इस न्यायालय की टिप्पणियों के साथ-साथ राम जनम यादव में इस न्यायालय की टिप्पणियों को केवल उक्त मामलों के विशिष्ट तथ्यों के दृष्टिकोण से ही समझा जाना चाहिए।

ई.

16. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने जोगेंद्र यादव के पैराग्राफ 2 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए तर्क दिया कि उक्त मामले में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने वास्तव में अपीलार्थियों को कारण दिखाने के लिए नोटिस जारी किया था कि उन्हें आरोपी के रूप में क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अपीलार्थियों को जवाब दाखिल करने का अवसर देने के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को कार्यवाही में शामिल करने के लिए अभियुक्त के रूप में तलब किया। इसलिए, यह एक ऐसा मामला था जिसमें आरोपी को इस तरह के समन जारी होने से पहले सुना गया था। यह तर्क दिया गया कि यह उपरोक्त संदर्भ में है कि इस न्यायालय ने कहा था कि अभियुक्त के रूप में बुलाए जाने वाले व्यक्तियों को शामिल करने से पहले सुना जाएगा। पैराग्राफ 9 में इस न्यायालय की उक्त टिप्पणियों को उक्त मामले के तथ्यों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए और इसके संदर्भ से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए और इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए।

एफ.

जी.

इस निवेदन को खारिज करने के लिए, यह बताया गया कि बाद में राम जनम यादव के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में, एक बड़ी पीठ के संदर्भ को यह ध्यान में रखते हुए आगे नहीं बढ़ाया गया कि

एच.

1204

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ए.

उक्त मामले में, कानून के प्रश्नों को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करना आवश्यक नहीं था क्योंकि उस मामले में भी, जिन व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में तलब किया गया था, उन्हें वास्तव में सुनवाई का अवसर दिया गया था और इसलिए, उपरोक्त दो मामले अपने स्वयं के विशिष्ट तथ्यों को बदल देंगे। दूसरे शब्दों में, जो तर्क दिया जाना चाहा गया था वह यह था कि आई. डी. 1 की धारा 319 के तहत बुलाए गए व्यक्तियों को सुनने का अवसर उन मामलों के तथ्यों पर था और इसे नियम या सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता है, जो आई. डी. 1 की धारा 319 के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सभी मामलों पर लागू होता है।

बी.

17. शिकायतकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने भी राज्य की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील की दलीलों का समर्थन विद्वान और तर्क दिया कि यदि अपीलार्थियों के लिए विद्वान

वरिष्ठ वकील की दलीलें स्वीकार की जानी हैं, तो अभियुक्त का पूरा मुकदमा बाधित हो जाएगा और मुकदमे के भीतर एक मुकदमा, एक केंद्रित चक्र होगा, और समय पर मुकदमे का कोई निष्कर्ष नहीं हो सकता है जो त्वरित मुकदमे के हितकारी सिद्धांत को दूषित करेगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ-साथ पीड़ितों के न्याय पाने के अधिकार के तहत मान्यता प्राप्त है। विद्वान वकील के अनुसार, यदि अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील की दलीलें इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जानी हैं, तो यह न केवल एक आपराधिक मुकदमे को खतरे में डालेगा, बल्कि उन अभियुक्तों के अधिकारों को भी प्रभावित करेगा जो पहले से ही मुकदमे का सामना कर रहे हैं और जो संभवतः अपने मुकदमे के दौरान हिरासत में हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में जोड़ा जाना है और Cr.P.C की धारा 319 के तहत तलब किया जाना है, वे अपनी याचिकाओं और दलीलों के साथ सामने आ सकते हैं जिन पर पहले निचली न्यायालय/सत्र न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए और इससे न केवल मुख्य मुकदमे की प्रगति में देरी होगी। यह प्रस्तुत किया गया था कि आई. डी. 1 की धारा 319 एक संपूर्ण प्रावधान है जिसे मुकदमे में सामने आए साक्ष्य और निचली विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए सत्र न्यायालय द्वारा लागू किया जाना चाहिए जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कल्पना की गई है। पंजाब राज्य और अन्य। (2014) 3 एस. सी. सी. 92 ("मनदीप सिंह")। इसलिए, अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता की उक्त दलीलें स्वीकार नहीं की जा सकती हैं, जो उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता की संयुक्त याचिका थी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

18. संबंधित पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील और विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, शुरुआत में, हम इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 8.5.2023 आदेश और उस संदर्भ का उल्लेख करेंगे जिसमें प्रत्यर्थी (गण) को नोटिस जारी विद्वान गया था। उक्त संदर्भ को इस तथ्य से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नागमुथु ने तर्क दिया कि जोगेंद्र यादव मामले में फैसले के पैराग्राफ 9 में स्पष्ट रूप से ए का संकेत दिया गया है।

एच.

1205

यशोधन सिंह और ओ. आर. एस. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

कि मुकदमे में अभियुक्त के रूप में जोड़े जाने से पहले बुलाए गए व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए, और इसलिए, विवादित आदेश दूषित हो गया।

19. आगे बढ़ने से पहले, हम Cr.P.C की धारा 227 और 319 का उल्लेख करेंगे, जिन्हें नीचे दिया गया है:

बी.

“227. निर्वहन।- यदि, मामले के अभिलेख और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, और इस संबंध में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को आरोपमुक्त करेगा और ऐसा करने के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगा।

सी.

“319. अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाई करने की शक्ति।-

(1) जहाँ, किसी अपराध की किसी जांच या मुकदमे के दौरान, साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है, ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है, न्यायालय ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उस अपराध के लिए कार्यवाही कर सकता है जो उसने किया प्रतीत होता है। (2) जहाँ ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है, उसे उपरोक्त उद्देश्य के लिए, मामले की परिस्थितियों के अनुसार, गिरफ्तार किया जा सकता है या तलब किया जा सकता है।

डी.

ई.

(3) न्यायालय में उपस्थित होने वाला कोई भी व्यक्ति, हालांकि इसके तहत नहीं

गिरफ्तारी या समन पर, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध की जांच या मुकदमे के उद्देश्य से हिरासत में लिया जा सकता है जो उसने किया प्रतीत होता है।

एफ.

(4) जहाँ न्यायालय उप-धारा (1) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करता है, तो -

(क) ऐसे व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही नए सिरे से शुरू की जाएगी और गवाहों की फिर से सुनवाई की जाएगी।

(ख) खंड (क) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मामला इस तरह आगे बढ़ सकता है जैसे कि ऐसा व्यक्ति एक अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया था जिस पर जांच या मुकदमा शुरू किया गया था।”

जी.

20. धारा 227 किसी अभियुक्त को आरोपमुक्त करने का प्रावधान करती है यदि न्यायालय को लगता है कि उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार या कारण नहीं हैं। नतीजतन, बरी किए गए व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही है

एच.

1206

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ए.

गिरा दिया। दूसरी ओर, धारा 319 Cr.P.C के तहत, एक व्यक्ति जिसे अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किया गया है, उसे अन्य अभियुक्तों के साथ मुकदमा चलाने के लिए बुलाया जाता है, जबकि धारा 227 Cr.P.C के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही का समापन होता है जो अभियुक्त है। दूसरी ओर, एक व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है, उसे धारा 319 Cr.P.C के तहत अन्य अभियुक्तों के साथ मुकदमा चलाने के लिए बुलाया जाता है।

बी.

21. उक्त धारा को पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि न्यायालय को किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति दी गई है जो किसी अपराध का दोषी प्रतीत होता है। धारा 319 Cr.P.C में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति 'आगे बढ़ें' का महत्व है। धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग प्रारंभिक चरण में नहीं है जहां अपराध का संज्ञान लिया जाता है और मामले को सत्र न्यायालय को सौंपने से पहले समन आदेश पारित किया जाता है। Cr.P.C की धारा 190 के तहत प्रयोग की गई वह शक्ति Cr.P.C की धारा 319 के तहत निचली अदालत/सत्र न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई शक्ति से काफी अलग है। हमारे विचार में, धारा 319 Cr.P.C में 'आगे बढ़ें' अभिव्यक्ति पर बहुत महत्व है। उक्त धारा असंख्य मामलों में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आई। हालाँकि, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि संविधान पीठ के निर्णयों

में-----

----- वी/एस। राजस्थान राज्य (2017) 7 एस. सी. सी. 706 ("बृजेंद्र सिंह")।

सी.

डी.

22. प्रदीप सिंह के प्रासंगिक पैराग्राफ को निम्नानुसार स्पष्ट किया जा सकता है:-

ई.

(i) इस न्यायालय की संविधान पीठ तीन पहलुओं से संबंधित थी:सबसे पहले, वह चरण जिस पर धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है; दूसरा, धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्तियों के आह्वान के आधार पर सामग्री को उचित ठहराया जा सकता है। और तीसरा, जिस तरीके से धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग किया जाना है। अनुच्छेद 117 में संविधान पीठ को निर्दिष्ट पांच प्रश्नों का उत्तर देते हुए, यह निष्कर्ष निकाला गया:

एफ.

“117. तदनुसार हम अपने निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार देते हैं:

प्रश्न (i) और (iii)

जी.

— सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत किस स्तर पर शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है?

और

— क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (1) में प्रयुक्त "साक्ष्य" शब्द का उपयोग व्यापक अर्थों में किया गया है और इसमें ए शामिल है।

एच.

1207

यशोधन सिंह और ओ. आर. एस. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

जाँच के दौरान एकत्र किया गया साक्ष्य या "साक्ष्य" शब्द मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्य तक सीमित है?

जवाब दें 117.1। धरम पाल मामले में [धरम पाल बनाम राज्य

हरियाणा, (2014) 3 एस. सी. सी. 303:ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3018], संविधान पीठ ने पहले ही कहा है कि अपराध करने के बाद, किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है जिसका नाम आरोपी के रूप में नहीं है, लेकिन जिसके खिलाफ जांच पूरी होने के बाद पुलिस द्वारा दायर दस्तावेजों से सामग्री उपलब्ध है। इस तरह का संज्ञान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 के तहत लिया जा सकता है और सत्र न्यायाधीश को अतिरिक्त आरोपी को बुलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत "सबूत" उपलब्ध होने तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।

बी.

सी.

117.2.सी. आर. पी. सी. की धारा 319, महत्वपूर्ण रूप से, दो अभिव्यक्तियों का उपयोग करती है जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए अर्थात् (1) जांच (2) परीक्षण। चूंकि आरोप तय होने के बाद मुकदमा शुरू होता है, इसलिए जांच को केवल मुकदमे से पहले की जांच ही समझा जा सकता है। न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 200, 201, 202 और न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 398 के तहत पूछताछ न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 319 द्वारा विचार की गई जांच की प्रजातियां हैं। इस तरह की पूछताछ के दौरान अदालत के समक्ष आने वाली सामग्री का उपयोग मुकदमा शुरू होने के बाद अदालत में दर्ज साक्ष्य की पुष्टि के लिए, न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए और एक ऐसे आरोपी को जोड़ने के लिए भी किया जा सकता है जिसका नाम आरोप पत्र के कॉलम 2 में दिखाया गया है।

डी.

ई.

117.3. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में "साक्ष्य" शब्द को व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए न कि शाब्दिक रूप से यानी मुकदमे के दौरान लाए गए साक्ष्य के रूप में।

एफ.

प्रश्न (ii)-क्या न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (1) में प्रयुक्त "साक्ष्य" शब्द का अर्थ केवल प्रतिपरीक्षा द्वारा परीक्षित साक्ष्य हो सकता है या न्यायालय संबंधित गवाह की परीक्षा में दिए गए बयान के आधार पर भी उक्त प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है?

जवाब दीजिए।

जी.

117.4. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत एक व्यक्ति जिसके खिलाफ सामग्री का खुलासा किया जाता है, उसे केवल मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जाता है और ऐसी स्थिति में न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (4) के तहत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही संज्ञान लेने के चरण से शुरू होनी है, अदालत को सबूत की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

एच.

1208

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ए.

अभियुक्त के खिलाफ प्रतिपरीक्षा द्वारा परीक्षण के लिए बुलाए जाने का प्रस्ताव है।

प्रश्न (iv)-किसी अभियुक्त को आरोपित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का उपयोग करने के लिए आवश्यक संतुष्टि की प्रकृति क्या है? क्या न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अदालत इस बात से संतुष्ट हो कि समन किए गए आरोपी को दोषी ठहराए जाने की पूरी संभावना है?

बी.

जवाब दीजिए।

117.5. यद्यपि न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (4) (बी) के तहत बाद में आरोपित को इस तरह माना जाना चाहिए जैसे कि वह एक आरोपी था जब अदालत ने शुरू में अपराध का संज्ञान लिया था, लेकिन न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत किसी व्यक्ति को समन करने के लिए आवश्यक संतुष्टि की मात्रा वही होगी जो आरोप तैयार करने के लिए आवश्यक होगी। पैरा 106 में वर्णित विधि का निष्कर्ष, पी. 138 सी-डी, की तुलना की जा सकती है: "इस प्रकार, हमारा मानना है कि हालांकि न्यायालय के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य से केवल एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाना है, आवश्यक रूप से प्रतिपरीक्षा के आधार पर परीक्षण नहीं किया जाता है, लेकिन इसके लिए उसकी संलिप्तता की केवल संभावना की तुलना में बहुत अधिक मजबूत सबूत की आवश्यकता होती है। जिस परीक्षण को लागू किया जाना है वह ऐसा है जो आरोप तय करने के समय प्रयोग किए गए प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है, लेकिन इस हद तक संतुष्टि से कम है कि सबूत, यदि अप्रमाणित हो जाता है, तो दोषसिद्धि का कारण बन सकता है। विशेष रूप से पी पर पैरा 100 में भी देखें। 136 एफ-जी।]। मूल अभियुक्त और उसके बाद के अभियुक्त को बुलाने के लिए संतुष्टि की मात्रा में अंतर इस तथ्य के कारण है कि मूल अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पहले ही शुरू हो चुका होगा और इस तरह के मुकदमे के दौरान ही नए बुलाए गए अभियुक्त के खिलाफ सामग्री का खुलासा किया जाता है। अभियुक्त के नए समन के परिणामस्वरूप मुकदमे में देरी होगी इसलिए अभियुक्त (मूल और बाद में) को समन करने के लिए संतुष्टि की मात्रा अलग होनी चाहिए।

सी.

डी.

ई.

एफ.

प्रश्न (v)-क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति उन व्यक्तियों तक फैली हुई है जिनका नाम प्राथमिकी में नहीं है या जिनका नाम प्राथमिकी में नहीं है, लेकिन जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है या जिन्हें आरोपमुक्त कर दिया गया है?

जी.

जवाब दीजिए।

117.6. एक व्यक्ति जिसका नाम एफ. आई. आर. में नहीं है या एक व्यक्ति जिसका नाम एफ. आई. आर. में है लेकिन उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है या एक व्यक्ति जिसे आरोपमुक्त कर दिया गया है, उसे धारा 319 सी. आर. पी. सी. ए. के तहत तलब किया जा सकता है।

एच.

1209

यशोधन सिंह और ओ. आर. एस. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति पर पहले से ही मुकदमे का सामना कर रहे अभियुक्त के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है। हालाँकि, जहाँ तक आरोपमुक्त किए गए अभियुक्त का संबंध है, उसे नए सिरे से बुलाए जाने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 और 398 की आवश्यकता का पालन करना होगा।

(ii) उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए, इस न्यायालय ने प्रदीप सिंह मामले में कहा कि यदि जांच एजेंसी किसी भी कारण से वास्तविक दोषियों में से एक को अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत नहीं करती है, तो न्यायालय उक्त अभियुक्त को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने में असमर्थ नहीं है। इसलिए, पूरा प्रयास किसी अपराध के वास्तविक अपराधी को दंडित किए बिना भागने की अनुमति नहीं देना है। यह उक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए है कि एक रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को अपनाया जाना चाहिए जो न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है और न्यायालय को व्यक्त उद्देश्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए शक्ति प्रदान करने वाले कानून के इरादे को कम नहीं करता है ताकि व्यक्ति को अपराध के करने में एक सहयोगी के रूप में मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय की संतुष्टि के लिए मुकदमा चलाया जा सके जो कि मुकदमे का विषय है। इस न्यायालय द्वारा यह विशेष रूप से कहा गया था कि मुकदमे से बचने की इच्छा इतनी प्रबल है कि एक अभियुक्त कभी-कभी जाँच या जाँच के चरण में भी खुद को दोषमुक्त करने का प्रयास करता है, भले ही वह अपराध करने से जुड़ा हो।

बी.

सी.

डी.

((ग) विचारण को जांच से अलग करते हुए, इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि परीक्षण एक जांच का अनुसरण करता है और परीक्षण का उद्देश्य प्रस्तुत किए गए तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति पर जिम्मेदारी को बढ़ाना है। धारा 319 Cr.P.C में प्रयुक्त शब्द "पाठ्यक्रम" पर जोर देते हुए, यह देखा गया कि उक्त शक्ति का उपयोग किसी भी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय द्वारा जांच के प्रारंभिक चरण से लेकर मुकदमे के समापन के चरण तक उक्त प्रावधान के तहत किया जा सकता है। चूंकि आरोप पत्र दाखिल करने के बाद, न्यायालय जांच के चरण में पहुंच जाती है और जैसे ही न्यायालय आरोप तय करती है, मुकदमा शुरू हो जाता है। इस प्रकार, धारा 319 (1) Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग निर्णय की घोषणा से पहले आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद किसी भी समय किया जा सकता है, सिवाय धारा 207/208 Cr.P.C, समर्पण आदि के चरण के दौरान।

ई.

एफ.

जी.

(iv) धारा 319 Cr.P.C की बारीकियों को विस्तार से बताते हुए, यह आगे कहा गया कि धारा 319 Cr.P.C के उद्देश्य के लिए जो आवश्यक है वह यह है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ सबूत दिखाई देने चाहिए जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है; कार्यवाही का चरण अप्रासंगिक है। धारा 319 एक सशक्तीकरण प्रावधान है, विशेष रूप से जहां शिकायतकर्ता कई व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही में चौकस है, लेकिन

एच.

1210

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ए.

न्यायालय की राय है कि कुछ अन्य व्यक्तियों की भी संलिप्तता की ओर इशारा करने वाले कुछ सबूत प्रतीत होते हैं।

(v) यह भी देखा गया कि न्यायालय द्वारा धारा 319 के तहत किसी व्यक्ति को समन करने के लिए तैयार की जा रही परिस्थितियां न्यायालय के समक्ष आने वाले तथ्यों और सामग्री की उपलब्धता से उत्पन्न होती हैं। सामग्री को अपराध करने में व्यक्ति की संलिप्तता का खुलासा करना चाहिए जो अपराध की किसी भी जांच या मुकदमे के दौरान साक्ष्य से दिखाई देने वाली सामग्री होनी चाहिए।

बी.

(vi) इस न्यायालय द्वारा हार्डीप सिंह के मामले में यह भी कहा गया कि मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए सख्त कानूनी अर्थों में साक्ष्य के अलावा, संज्ञान लेने के बाद और मुकदमा शुरू होने से पहले न्यायालय द्वारा प्राप्त किसी भी सामग्री का उपयोग केवल पुष्टि के लिए और धारा 319 के तहत शक्ति का उपयोग करने के लिए न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। ऐसी सामग्री प्रकृति में सहायक होगी ताकि किसी अन्य साथी का खुलासा किया जा सके जिसकी अपराध में संलिप्तता को दबा दिया गया हो या न्यायालय के नोटिस से बच गया हो। इसलिए, मुकदमे से पहले भी न्यायालय के समक्ष लाई गई किसी भी सामग्री को धारा 319 के उद्देश्य के लिए "साक्ष्य" अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर पढ़ा जा सकता है। मुकदमे के दौरान सामने आने वाले साक्ष्य पर विचार करते हुए, इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि मुख्य परीक्षा के माध्यम से दर्ज किया गया साक्ष्य और जिसका प्रतिपरीक्षा द्वारा परीक्षण नहीं किया गया है, फिर भी वह सबूत है जिस पर न्यायालय द्वारा धारा 319 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए विचार किया जा सकता है। जब तक कि न्यायालय को यह प्रतीत होता कि कोई अन्य व्यक्ति जो मुकदमे का सामना नहीं कर रहा है, वह भी अपराध में शामिल हो सकता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

(vii) इसके अलावा, धारा 319 Cr.P.C. "ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है" शब्दों का भी उपयोग करती है, जिसका अर्थ है कि धारा 319 Cr.P.C के चरण में परीक्षण और प्रतिपरीक्षा करके और उसके बाद ऐसे व्यक्ति के स्पष्ट कार्य पर प्रथम दृष्टया निष्कर्ष पर आकर, जिसे जोड़ा जाना चाहिए। इस तरह के छोटे मुकदमे से किसी भी तरह की जिरह न करने के बजाय आरोपी के रूप में पेश किए जाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के अधिकार पर असर पड़ेगा। धारा 319 (4) Cr.P.C के तहत, ऐसा व्यक्ति ए

जी.

एच.

1211

यशोधन सिंह और ओ. आर. एस. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने और बचाव पक्ष के गवाहों से जिरह करने और अपनी दलीलों को आगे बढ़ाने का अधिकार है। यह आगे देखा गया कि धारा 319 Cr.P.C के तहत

शक्ति का प्रयोग मुख्य परीक्षा के पूरा होने के बाद भी किया जा सकता है और न्यायालय को तब तक इंतजार नहीं करना पड़ता जब तक कि उक्त साक्ष्य का जिरह पर परीक्षण नहीं किया जाता है, क्योंकि यह न्यायालय की संतुष्टि है जो न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए कारणों से एकत्र की जा सकती है, कुछ अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत के संबंध में, जो अपराध में मुकदमे का सामना नहीं कर रहे हैं।

बी.

(viii) जिस परीक्षण को लागू किया जाना है वह ऐसा है जो आरोप तय करने के समय प्रयोग किए गए प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है, लेकिन इस हद तक संतुष्टि से कम है कि यदि साक्ष्य का खंडन नहीं किया जाता है, तो दोषसिद्धि होगी। इसलिए, इस तरह की संतुष्टि धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए अनिवार्य है। अंततः, शक्ति का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के मुकदमे के लिए है जिन्हें पहले से ही मुकदमे में आरोपी के साथ बुलाया गया है, न कि आरोपी के साथ दोषसिद्धि के लिए। इसलिए, उस स्तर पर, न्यायालय को अभियुक्त के अपराध के बारे में कोई निश्चित राय बनाने की आवश्यकता नहीं है।

सी.

डी.

(ix) इस न्यायालय ने आगे कहा कि मूल अभियुक्त और उसके बाद के अभियुक्त को बुलाने के लिए संतुष्टि की मात्रा में अंतर इस तथ्य के कारण है कि मूल अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पहले ही शुरू हो चुका होगा और इस तरह के मुकदमे के दौरान ही नए बुलाए गए अभियुक्त के खिलाफ सामग्री का खुलासा किया जाता है। इसलिए, मुकदमे के दौरान मूल आरोपी और बाद में बुलाए गए आरोपी को बुलाने के लिए संतुष्टि की मात्रा अलग-अलग है।

ई.

(x) इस न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि एक व्यक्ति, जिसका नाम एफ. आई. आर. या आरोप पत्र में भी नहीं आता है या जिसका नाम एफ. आई. आर. में आता है और आरोप पत्र के मुख्य भाग में नहीं बल्कि कॉलम 2 में आता है और जिसे धारा 193 Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी के रूप में तलब नहीं किया गया है, उसे अभी भी न्यायालय द्वारा तलब किया जा सकता है, बशर्ते कि न्यायालय संतुष्ट हो कि उक्त वैधानिक प्रावधानों में प्रदान की गई शर्तें पूरी हो गई हैं। हालाँकि, एक व्यक्ति जिसे पहले ही छुट्टी दे दी गई है, वह उस व्यक्ति की तुलना में अलग है जिसकी कभी जांच नहीं हुई थी या यदि उसके अधीन किया गया था, लेकिन आरोप पत्र नहीं था। ऐसा व्यक्ति न्यायालय के समक्ष जांच के चरण में खड़ा रहा है और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री की न्यायिक जांच पर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं है। इसलिए, न्यायालय को चाहिए कि

एफ.

जी.

एच.

1212

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ए.

ध्यान रखें कि गवाह जब इस तरह से बरी किए गए व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य देता है, तो वह केवल बदला लेने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है या किसी के कहने पर या ऐसे अन्य बाहरी विचारों के लिए उसका नाम ले रहा है।(xi) इस न्यायालय ने आगे कहा कि उसे इस तरह के साक्ष्य का इलाज करने में सावधानी बरतनी होगी और भूसी को अनाज से अलग करने का प्रयास करना होगा। यदि साक्ष्य की इस तरह की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, न्यायालय की राय है कि इस तरह से बरी किए गए व्यक्ति के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए सबूत मौजूद हैं, तो वह सीधे धारा 319 Cr.P.C के प्रावधान का सहारा लिए बिना केवल धारा 398 Cr.P.C के अनुसार कदम उठा सकती है। धारा 398 एक पुनरीक्षण शक्ति की प्रकृति में है जिसका प्रयोग केवल उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो। हालाँकि, आरोपमुक्त किए गए व्यक्ति को फिर से अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन धारा 300 (5) और 398 द्वारा विचार की गई जाँच के बाद ही। यदि ऐसी जाँच के दौरान या उसके बाद ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत दिखाई देता है, तो धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।²³ इस न्यायालय की संविधान पीठ की उक्त टिप्पणियों से यह ध्यान दिया जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जांच पर विचार किया जाता है जिसे धारा 227 के संदर्भ में मुकदमे के शुरू होने से पहले आरोपमुक्त कर दिया गया है, जैसा कि ऊपर निकाला गया है, लेकिन जांच पर, यदि यह प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सबूत है, तो धारा 319 के तहत शक्ति का उपयोग ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किया जा सकता है जिसे आरोपमुक्त कर दिया गया है। इसका स्पष्ट अर्थ यह होगा कि जब कोई व्यक्ति जिसे आरोपमुक्त नहीं किया गया है, लेकिन जिसे धारा 319 Cr.P.C के अनुसार समन किया जाना है, तो अभिलेख पर साक्ष्य पर न्यायालय द्वारा प्राप्त संतुष्टि के आधार पर, किसी भी जांच या सुनवाई पर विचार नहीं किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और 319 Cr.P.C के तहत बुलाए गए व्यक्ति को सुनने के अवसर पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है। जांच का ऐसा अधिकार केवल उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जो मुकदमे के शुरू होने से पहले ही उसी कार्यवाही से मुक्त हो चुका है। यह अभिनिर्धारित करने से अलग है कि एक व्यक्ति जिसे धारा 319 Cr.P.C के अनुसार तलब किया गया है, उसे अन्य अभियुक्तों के साथ मुकदमा चलाने के लिए अभियुक्त के रूप में जोड़े जाने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार सुने जाने का अधिकार है।

बी.
सी.
डी.
ई.
एफ.
जी.

24. इसके अलावा, जब किसी व्यक्ति को धारा 319 Cr.P.C के तहत अभियुक्त के रूप में तलब किया जाता है, जो मुकदमे के दौरान सामने आए साक्ष्य पर विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई संतुष्टि पर आधारित है ताकि अन्य अभियुक्तों के साथ अभियुक्त के रूप में बुलाए गए व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सके, तो तलब किया गया अभियुक्त आरोपमुक्त करने की मांग नहीं कर सकता है। यह आवश्यक है ए

एच.

1213

यशोधन सिंह और ओ. आर. एस. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

यह बताने के लिए कि धारा 227 के तहत जैसा कि विचार किया गया निर्वहन मुकदमे के शुरू होने से पहले और आरोप तय होने के तुरंत बाद एक स्तर पर है, लेकिन जब धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाता है, किसी व्यक्ति को अन्य अभियुक्तों के साथ मुकदमे में आरोपी के रूप में शामिल करने के लिए बुलाने के लिए, ऐसा व्यक्ति निर्वहन की मांग नहीं कर सकता है क्योंकि न्यायालय ने धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग किया होगा।

बी.

25. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. नागमुथु ने दृढ़ता से तर्क दिया कि धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए बुलाए गए व्यक्ति को अन्य अभियुक्तों के साथ मुकदमा चलाने के लिए मुकदमे में अभियुक्त के रूप में शामिल किए जाने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर करने का अवसर मिलना चाहिए। इन पर स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है और इसलिए उक्त दलीलों को खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा, धारा 319 Cr.P.C के साथ कोई अंतिमता जुड़ी नहीं है। यह केवल अतिरिक्त अभियुक्त पर मुकदमा शुरू होने का संकेत देता है। इसका कारण यह है कि किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में शामिल करने से पहले उसे सुनने की आवश्यकता नहीं है। जब समापन रिपोर्ट पूरी तरह से गलत तरीके से दायर की जाती है क्योंकि समापन रिपोर्ट में

अंतिमता होती है तो विरोध याचिका के रूप में शिकायतकर्ता को सुनवाई के अवसर पर संदर्भ और निर्भरता दी जाती है; इसलिए शिकायतकर्ता को एक अवसर दिया जाता है।

सी.

डी.

ई.

26. सुखपाल सिंह खैर मामले में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ, जिसमें हममें से एक सदस्य (नागरत्ना, जे.) थे, ने Cr.P.C की अन्य संबद्ध धाराओं सहपठित धारा 319 के संदर्भ में "मुकदमे का समापन" अभिव्यक्ति के अर्थ पर जोड़ दिया और इस न्यायालय के कई फैसलों का उल्लेख करने के बाद, जिसमें हार्डीप सिंह (उपरोक्त) भी शामिल थे, ने नीचे उल्लिखित प्रश्न का उत्तर दिया:

एफ.

"39.(I) क्या निचली विचारण न्यायालय के पास धारा 319 सी. आर. पी. सी. के तहत अतिरिक्त आरोपी को बुलाने की शक्ति है जब अन्य सह-अभियुक्तों के संबंध में मुकदमा समाप्त हो गया है और समन आदेश देने से पहले उसी तारीख को दोषी ठहराए जाने का फैसला दिया गया है?

जी.

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का उपयोग सजा के आदेश की घोषणा से पहले किया जाना है।

एच.

1214

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ए.

जहाँ अभियुक्त को दोषसिद्धि का निर्णय दिया जाता है। बरी होने के मामले में, बरी होने का आदेश घोषित होने से पहले शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसलिए, समन आदेश को दोषसिद्धि के मामले में सजा के अधिरोपण द्वारा मुकदमे के समापन से पहले होना चाहिए। यदि आदेश उसी दिन पारित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर इसकी जांच करनी होगी और यदि ऐसा समन आदेश दोषसिद्धि के मामले में बरी होने या सजा देने के आदेश के बाद पारित किया जाता है, तो यह स्थायी नहीं होगा।

बी.

40.(II) क्या निचली विचारण न्यायालय के पास धारा 319 सी. आर. पी. सी. के तहत अतिरिक्त अभियुक्तों को बुलाने की शक्ति है, जब कुछ अन्य फरार अभियुक्तों (जिनकी उपस्थिति बाद में सुनिश्चित की गई है) के संबंध में मुकदमा चल रहा है/लंबित है, जिसे मुख्य मुकदमे से अलग कर दिया गया है?

सी.

निचली विचारण न्यायालय के पास अतिरिक्त आरोपी को बुलाने की शक्ति है जब फरार आरोपी के संबंध में उसकी उपस्थिति हासिल करने के बाद मुकदमा चलाया जाता है, जो कि विभाजित (द्विभाजित) मुकदमे में दर्ज साक्ष्य के अधीन है जो आरोपी की संलिप्तता की ओर इशारा करता है। लेकिन मुख्य समाप्त मुकदमे में दर्ज साक्ष्य समन आदेश का आधार नहीं हो सकता है यदि इस तरह की शक्ति का उपयोग मुख्य मुकदमे में उसके समापन तक नहीं किया गया है।

डी.

ई.

41.(III) न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय सक्षम न्यायालय को किन दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए?

41.1. यदि सक्षम अदालत को सबूत मिलता है या यदि बरी या सजा पर आदेश पारित करने से पहले मुकदमे में किसी भी स्तर पर दर्ज साक्ष्य के आधार पर अपराध करने में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के संबंध में न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत आवेदन दायर किया जाता है, तो वह उस स्तर पर मुकदमे को रोक देगा।

एफ.

41.2. इसके बाद न्यायालय पहले अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने की आवश्यकता या अन्यथा तय करेगी और उस पर आदेश पारित करेगी।

जी.

41.3. यदि अदालत का निर्णय न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करना और आरोपी को तलब करना है, तो मुख्य मामले में मुकदमे के साथ आगे बढ़ने से पहले ऐसा समन आदेश पारित किया जाएगा।

एच.

1215

यशोधन सिंह और ओ. आर. एस. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

ए.

41.4.यदि अतिरिक्त अभियुक्त का समन आदेश पारित किया जाता है, जो उस चरण के आधार पर होता है जिस पर इसे पारित किया जाता है, तो न्यायालय इस तथ्य पर भी अपना दिमाग लगाएगी कि क्या ऐसे समन किए गए अभियुक्त पर अन्य अभियुक्त के साथ मुकदमा चलाया जाना है या अलग से।

41.5.यदि निर्णय संयुक्त मुकदमे के लिए है, तो समन किए गए अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही नए सिरे से मुकदमा शुरू किया जाएगा।

बी.

41.6.यदि निर्णय यह है कि समन किए गए अभियुक्त पर अलग से मुकदमा चलाया जा सकता है, तो ऐसा आदेश दिए जाने पर, न्यायालय के लिए उन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा जारी रखने और समाप्त करने में कोई बाधा नहीं होगी जिनके साथ आगे बढ़ रहा था।

सी.

41.7.यदि कार्यवाही ऊपर पैरा 41.1 के अनुसार रुक जाती है, तो ऐसे मामले में है जहां जिन अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया था, उन्हें बरी किया जाना है, और निर्णय यह है कि तलब किए गए अभियुक्त पर अलग से नए सिरे से मुकदमा चलाया जा सकता है, तो मुख्य मामले में बरी करने का निर्णय पारित करने में कोई बाधा नहीं होगी।

डी.

41.8.यदि मुख्य मुकदमे में उसके समापन तक शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है और यदि कोई विभाजित (द्विभाजित) मामला है, तो धारा 319 सी. आर. पी. सी. के तहत शक्ति का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब उस प्रभाव का सबूत हो, जो विभाजित (द्विभाजित) मुकदमे में बुलाए जाने वाले अतिरिक्त अभियुक्त की संलिप्तता की ओर इशारा करता है।

ई.

41.9.यदि, दलीलों की सुनवाई के बाद और मामले को निर्णय के लिए सुरक्षित रखा जाता है, तो न्यायालय के लिए धारा 319 सी. आर. पी. सी. के तहत शक्ति का आह्वान करने और प्रयोग करने का अवसर उत्पन्न होता है, न्यायालय के लिए उचित पाठ्यक्रम इसे फिर से सुनवाई के लिए निर्धारित करना है।

एफ.

41.10.पुनः सुनवाई के लिए इसे निर्धारित करने पर, समन के बारे में निर्णय लेने के लिए उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया; संयुक्त परीक्षण या अन्यथा आयोजित करने का निर्णय लिया जाएगा और तदनुसार आगे बढ़ाया जाएगा। 41.11.ऐसे मामले में भी, उस स्तर पर, यदि निर्णय अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने और संयुक्त मुकदमा चलाने का है, तो मुकदमा नए सिरे से चलाया जाएगा और नए सिरे से कार्यवाही की जाएगी।

जी.

41.12.यदि, उस परिस्थिति में, निर्णय समन किए गए अभियुक्त के मामले में एक अलग मुकदमा आयोजित करने का है जैसा कि पहले संकेत दिया गया है: (क) मुख्य मामले का निर्णय दोषसिद्धि और सजा की घोषणा करके किया जा सकता है और फिर बुलाए गए अभियुक्त के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई की जा सकती है।

एच.

1216

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ए.

(ख) दोषमुक्त किए जाने के मामले में मुख्य मामले में इस आशय का आदेश पारित किया जाएगा और फिर समन किए गए अभियुक्त के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई की जाएगी।

27. बृजेंद्र सिंह के मामले में, इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्तियों को लागू करने के लिए आवश्यक संतुष्टि की मात्रा और संबंधित प्रश्न, अर्थात्, किन स्थितियों में, इस शक्ति का प्रयोग उस व्यक्ति के संबंध में किया जाना चाहिए जिसका नाम एफ. आई. आर. में है लेकिन आरोप पत्र में नहीं है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक बार जब निचली न्यायालय को पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कुछ "साक्ष्य" है जिसके आधार पर यह एकत्र किया जा सकता है कि वह अपराध का दोषी प्रतीत होता है, तो धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। यह देखा गया कि इस संदर्भ में साक्ष्य का अर्थ वह सामग्री है जिसे मुकदमे के दौरान न्यायालय के समक्ष लाया जाता है। जहाँ तक जाँच अधिकारी (आई. ओ.) द्वारा जाँच के स्तर पर एकत्र की गई सामग्री या साक्ष्य का संबंध है, इसका उपयोग धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्ति का उपयोग करने के लिए न्यायालय द्वारा दर्ज साक्ष्य की पुष्टि और समर्थन के लिए किया जा सकता है। यह न्यायालय धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय प्राप्त संतुष्टि की डिग्री के बीच अंतर करता है। जो उस डिग्री से अधिक है जो उन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के समय वारंट की जाती है जिनके संबंध में आरोप पत्र दायर किया गया था। केवल वहाँ जहाँ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से किसी व्यक्ति के खिलाफ मजबूत और ठोस साक्ष्य मिलता है, कि ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस तरह की शक्ति का प्रयोग आकस्मिक या घुड़सवार तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। प्रथम दृष्टया जिस राय का गठन किया जाना है, उसके लिए किसी व्यक्ति की मिलीभगत की केवल संभावना की तुलना में अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता होती है, जो इस न्यायालय की टिप्पणियाँ थीं।

बी.

सी.

डी.

ई.

यह मानते हुए कि उक्त मामले में कोई संतुष्टि नहीं थी, धारा 319 Cr.P.C के तहत पारित आदेश जिसमें अपीलार्थी को समन किया गया था, इस न्यायालय द्वारा अपास्त करना कर दिया गया था।

एफ.

28. यह उपरोक्त निर्णयों के आलोक में है, हमें जोगेंद्र यादव में इस न्यायालय के फैसले पर विचार करना होगा जो अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्रीनागमुथु की दलीलों का आधार है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, उक्त मामले में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को आई. डी. 1 की धारा 319 के तहत नोटिस जारी किया था ताकि यह बताया जा सके कि उन्हें आरोपी के रूप में क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए और उसमें अपीलार्थियों को अपना जवाब दाखिल करने का अवसर प्रदान किया गया था और सुनवाई के बाद, समन किए गए अपीलार्थियों को कार्यवाही में आरोपी के रूप में जोड़ा गया था। यह किसी का मामला नहीं था कि वे ए नहीं थे

जी.

एच.

1217

यशोधन सिंह और ओ. आर. एस. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

इस तरह के समन आदेश पारित होने से पहले सुना गया था। इसके बावजूद, उक्त आदेश को चुनौती दी गई और अंततः मामला इस न्यायालय के समक्ष आया। इस न्यायालय ने अपने निर्णय के दौरान आई. डी. 1 की धारा 319 के उद्देश्य और उद्देश्य का उल्लेख किया और इसे धारा 227 से अलग किया, जो निम्नानुसार अवलोकन करके निर्वहन का प्रावधान करता है -

“6. आई. डी. 1 की धारा 319 के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है, उसे केवल तभी अभियुक्त के रूप में जोड़ा जा सकता है जब सबूत से यह प्रतीत होता है कि उसने कोई अपराध किया है जिसके लिए उस पर अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है। धारा में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में, न्यायालय उस अपराध के लिए “ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाई कर सकता है” जो उसने किया प्रतीत होता है। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है, उसे जोड़ा जा सकता है जहां उसने कोई अपराध किया है। तत्पश्चात, प्रभाव यह है कि न्यायालय ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है।

बी.

सी.

7. दूसरी ओर, आई. डी. 1 की धारा 227 में प्रावधान है कि यदि न्यायाधीश यह समझता है कि उसके खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो अभियुक्त को आरोपमुक्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि न्यायाधीश का विचार है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो उसे आरोपमुक्त किया जा सकता है, जिसके बाद उसके खिलाफ कार्यवाही को हटा दिया जाता है।

डी.

ई.

8. यह स्पष्ट है कि इन दोनों प्रावधानों का, संक्षेप में, विपरीत प्रभाव पड़ता है। Cr.P.C की धारा 319 के तहत शक्ति के परिणामस्वरूप एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही शुरू होती है जो अब तक आरोपी नहीं था और Cr.P.C की धारा 227 के तहत शक्ति के परिणामस्वरूप उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही समाप्त हो जाती है जो एक आरोपी है।” 29. अपीलार्थियों की ओर से दी गई दलीलों का आधार पत्र वही है जो इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 9 में उक्त निर्णय में देखा गया है, जो निम्नानुसार है:

एफ.

“9. हालाँकि, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह आग्रह किया गया था कि आई. डी. 1 की धारा 227 के तहत आरोपमुक्त करने के उपायों का लाभ उठाने के लिए, केवल आवश्यक योग्यता यह है कि व्यक्ति को अभियुक्त किया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि शुरुआत से ही एक अभियुक्त और अभियुक्त के बीच कोई अंतर नहीं है जिसे Cr.P.C की धारा 319 के तहत इस रूप में जोड़ा गया है। हालाँकि, इस प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करना संभव नहीं है क्योंकि एक

जी.

एच.

1218

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ए.

दोनों के बीच भौतिक अंतर। एक अभियुक्त को आरम्भ से ही अभियुक्त के रूप में जोड़ने से पहले आवश्यक रूप से नहीं सुना जाता है। हालाँकि, एक व्यक्ति जिसे Cr.P.C की धारा 319 के

तहत आरोपी के रूप में जोड़ा जाता है, उसे इस तरह से जोड़े जाने से पहले सुनना आवश्यक है। अक्सर उसे आगे की सुनवाई मिलती है यदि वह उच्च न्यायालय के समक्ष समन आदेश को चुनौती देता है और आगे भी। यह असंगत और वास्तव में विसंगत प्रतीत होता है यदि दोनों धाराओं का अर्थ यह समझा जाता है कि एक व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ साक्ष्य पर विचार करने के बाद आरोपी के रूप में जोड़ा जाता है, वह इस आधार पर आरोपमुक्त करने का उपाय प्राप्त कर सकता है कि उसके खिलाफ कोई पर्याप्त सामग्री नहीं है। इसके अलावा, यह तय किया जाता है कि Cr.P.C की धारा 319 के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब न्यायालय के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य से किसी व्यक्ति के खिलाफ बहुत मजबूत और ठोस सबूत मिलता है।”

बी.

सी.

(हमारे द्वारा बल दिया गया है) इस अभिव्यक्ति पर बहुत बल दिया गया है "एक व्यक्ति जिसे Cr.P.C की धारा 319 के तहत आरोपी के रूप में जोड़ा गया है, इस तरह से जोड़े जाने से पहले आवश्यक रूप से सुना जाता है" जैसा कि ऊपर निकाला गया है। इसलिए, अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि तत्काल मामले में, अपीलार्थियों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं होने के कारण, समन आदेश को ही दूषित कर दिया गया था और इसलिए, उच्च न्यायालय के विवादित आदेश अपास्त करना किया जा सकता है और साथ ही अभियुक्त को समन करने वाले सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश को भी रद्द किया जा सकता है।

डी.

ई.

30. ऊपर निकाले गए पैराग्राफ 9 में जो देखा गया है, उसके आलोक में और बाद के पैराग्राफ में इस न्यायालय द्वारा जो देखा गया है, उसके प्रकाश में और ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय के पहले के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए विद्वान स्वयं या अपीलार्थियों की दलीलों पर विचार करना आवश्यक है।

एफ.

31. जोगेंद्र यादव के पैराग्राफ 13 में, यह देखा गया है कि Cr.P.C की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग एक उच्च पीठ पर किया जाना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि Cr.P.C की धारा 319 के तहत तलब किए गए आरोपी Cr.P.C की धारा 319 के तहत शक्ति के अवैध या अनुचित प्रयोग के खिलाफ कानून के तहत उपचार का आह्वान करने के हकदार हैं। लेकिन इसका प्रभाव Cr.P.C की धारा 227 के तहत आरोपमुक्त करने की मांग करके आदेश को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक व्यक्ति, जिसे Cr.P.C की धारा 319 के तहत समन किया गया है, वह Cr.P.C की

धारा 227 के तहत आरोपमुक्त करने का उपाय नहीं ले सकता है। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, ए पर चर्चा की।

जी.

एच.

1219

यशोधन सिंह और ओ. आर. एस. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

Cr.P.C की धारा 227 और 319 के बीच का अंतर, जैसा कि ऊपर निकाला गया है। इस न्यायालय ने उक्त निर्णय के बाद के पैरास में यह भी नहीं कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में जोड़ने के लिए आई. डी. 1 की धारा 319 के तहत तलब किया जाना है, तो ऐसे व्यक्ति को अवसर दिया जाना चाहिए और उसे सुनने के बाद ही उसे मुकदमे में अभियुक्त के रूप में जोड़ा जा सकता है। हम यह नहीं पाते हैं कि जोगेंद्र यादव का अनुपात उक्त पहलू पर निर्भर करता है। तथापि, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नागमुथु द्वारा यह संतुष्ट विद्वान गया है कि उक्त निर्णय के पैराग्राफ 9 में जो देखा गया है, वह इसे एक आवश्यक आदेश या नियम बना देगा कि एक व्यक्ति जिसे आई. डी. 1 की धारा 319 के तहत समन विद्वान जाना है, उसे आरोपी के रूप में जोड़ा जाना आवश्यक है और इस तरह से जोड़ा जाने से पहले उसकी सुनवाई की जाएगी। पैराग्राफ 9 को उक्त फैसले का अनुपात नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, जिस संदर्भ में पैराग्राफ में टिप्पणियां की गई हैं, वह उक्त मामले के तथ्यों से संबंधित होनी चाहिए, जहां वास्तव में उसमें बुलाए गए व्यक्तियों को अवसर प्रदान किया गया था।

बी.

सी.

इसी तरह, राम जनम यादव के मामले में, तथ्यों के आधार पर, यह देखा गया कि जिस व्यक्ति को बुलाया गया था, उसे वास्तव में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था।³² केवल इसलिए कि कुछ कार्यवाहियों में बुलाए गए व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था, यह कहने के समान नहीं हो सकता है कि यह एक अनिवार्य आवश्यकता या पूर्व शर्त है कि Cr.P.C की धारा 319 के तहत किसी व्यक्ति को बुलाते समय, उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। यह कानून का अधिदेश नहीं है क्योंकि धारा 319 स्पष्ट रूप से "आगे बढ़ने के लिए" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है जिसका अर्थ है मुकदमे के साथ आगे बढ़ना और मुकदमे के भीतर एक लघु मुकदमे या मुकदमे का संचालन करके बुलाए गए व्यक्ति (व्यक्तियों) के कहने पर मुकदमे को खतरे में नहीं डालना जिससे मामले के मुख्य मुकदमे को पटरी से उतार दिया जाता है और विशेष रूप से उन अभियुक्तों के खिलाफ जो पहले से ही मुकदमे का सामना कर रहे हैं और जो हिरासत में हो सकते हैं। एक व्यक्ति जिसे धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए बुलाया जाता है, वह मुकदमे से बचने के लिए अपने मामले को मजबूत करने के

लिए मुकदमे को हाईजैक नहीं कर सकता है। जब किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है तो यह सुनिश्चित करने पर विचार किया जाता है कि वह वही व्यक्ति है जिसे बुलाया गया था और यदि कोई समन किया गया व्यक्ति दी गई तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है। समन किए गए व्यक्ति की उपस्थिति पर, पहले से ही मुकदमे का सामना कर रहे अभियुक्तों की सूची में अभियुक्त के रूप में शामिल किए जाने से पहले जांच या सुनवाई के अवसर की कोई प्रक्रिया की परिकल्पना नहीं की गई है, जब तक कि ऐसे समन किए गए व्यक्ति को पहले ही आरोपमुक्त नहीं कर दिया गया था, जिस स्थिति में, एक जांच पर विचार किया जाता है जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। इस प्रकार, यह तर्क कि समन किए गए व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में शामिल किए जाने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1220

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ए.

धारा 319 Cr.P.C के तहत मुकदमे का सामना करने पर स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है। इस अदालत द्वारा यह भी कहा गया है कि ऐसा तलब किया गया व्यक्ति उच्च न्यायालय के समक्ष समन आदेश पर हमला कर सकता है और उसे गवाहों से जिरह करने का अधिकार भी होगा और साथ ही अपने बचाव पक्ष की गवाही, यदि कोई हो, दे सकता है।

33. इस प्रकार, धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए बुलाए गए व्यक्ति का पार्श्व प्रवेश केवल अन्य अभियुक्तों के साथ मुकदमे का सामना करने के लिए है। यह, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक हितकारी प्रावधान होने के नाते, धारा 319 Cr.P.C के दायरे में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का आयात करके इसे कम नहीं किया जा सकता है, जिनका किसी भी मामले में मुकदमे के दौरान पालन किया जाएगा।

बी.

सी.

यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को स्ट्रेट-जैकेट सूत्र में लागू नहीं किया जा सकता है और वे प्रत्येक मामले के तथ्यों और कानून के प्रावधान के तहत प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और उद्देश्य पर निर्भर करेंगे। 34. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमें नहीं लगता कि जोगेंद्र यादव के फैसले में किसी भी पुनर्विचार की आवश्यकता है और पैरा 9 में उपरोक्त निष्कर्ष के रूप में उक्त अवलोकन केवल उक्त मामले के तथ्यों से संबंधित है। इस प्रकार, समन किए गए व्यक्ति की सुनवाई के सिद्धांत को धारा 319 में नहीं पढ़ा जा सकता है। ऐसी प्रक्रिया पर उसमें बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में हम अपीलार्थियों की दलीलों को स्वीकार नहीं करते हैं।

डी.

ई.

35. इस स्तर पर, अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील और विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत विद्वान कि अपीलार्थी सुनवाई की अगली तारीख यानी 31.07.2023 पर सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे और उनके लिए कानूनी रूप से उपलब्ध सभी उपायों की तलाश करेंगे।

अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील और विद्वान अधिवक्ता की दलीलें रिकॉर्ड में रखी जाती हैं।

एफ.

इस प्रकार, हम उस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं जिसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाएगा।

जी.

अंकित ज्ञान

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायक: आरश चौधरी, एलसीआरए)

एच.